

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प. 3(2)नविवि/II/2022

जयपुर, दिनांक: 23 JUN 2022

आदेश

श्रीमती पारूल शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर (परिवीक्षाधीन) का वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक: 08.08.2019 एवं राजस्थान सेवा नियम, 1966 के नियम 96 के अन्तर्गत दिनांक: 25.04.2022 से 20.05.2022 (26 दिवस) का असाधारण अवकाश(अवैतनिक) एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा के दिनांक: 25.04.2022 से 20.05.2022 (26 दिवस) का असाधारण अवकाश(अवैतनिक) का इन्द्राज सेवा-पुस्तिका में लाल स्याही से आवश्यक रूप से किया जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय